झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
अधिसूचना

संचिका०सं०– 1/ स्था०(राज०) 04/02/2020– सू०ज०स०/184 राँची, दिनांक 11/08/2020

संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा –2016 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अंतर्गत झारखंड सूचना सेवा के रिक्त बेसिक ग्रेड ''सहायक निदेशक–सह–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी'' के पद पर सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे–मैट्रिक्स –9 (6th PRC PB-II, 9300-34800, GP- 5400) में अनुमान्य भत्तों सहित निम्नांकित उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता हैः–

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम/कोटि	पिता/पति का नाम	अवासीय पता
1.	साकेत कुमार पाण्डेय/ अना०	सदानन्द पाण्डेय	ग्राम– मंझिलाडीह, पो०– घोरंजी भाया–खरगडीहा, डाकघर–घोरंजी, थाना– देवरी, जिला –गिरिडीह, राज्य – झारखण्ड, 815314
2.	असीम कुमार/अना०	धर्मजीत प्रसाद यादव	ग्राम–मकरी, डाकघर– मकरी, थाना– भवनाथपुर, जिला – गढ़वा, झारखण्ड, 822112
3.	अंजना भारती/अना०	सुधीर कुमार	उत्तरी शिवपुरी, कृष्णानगर गली नं०– 5बी, डाकघर– हजारीबाग, थाना– लोहसिंधना, जिला – हजारीबाग, झारखण्ड, 825301
4.	अभय कुमार/अना०	काशी नाथ सेठ	बंशीधर रोड, सठजी बाजार (नजदीक) डाकघर– नगर उंटारी, थाना– नगर उंटारी, जिला – गढ़वा, झारखण्ड, 822121
5.	चन्दन/अना०	देवकी पासवान	ग्राम–देवगन, डाकघर– चपरवार, थाना– छत्तरपुर, जिला – पलामू, झारखण्ड, 822113
6.	जयन्त गौतम/अना०	सोने लाल राय	घर संख्या –325, इन्दु निकेतन, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, जोड़ा तालाब, डाकघर– बरियातु, थाना– बरियातु, जिला – रांची, झारखण्ड, 834009
7.	अजय कुमार/ अनुसूचित जाति	अनाथ बन्धु बाउरी	सेक्टर –6/बी, क्वा० नं०– 1328, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर– सेक्टर –6, थाना– सेक्टर –6, जिला – बोकारो, झारखण्ड, 827006

क) उपर्युक्त क्रमांक 3 पर वर्णित अंजना भारती की नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि योगदान के समय पूर्व नियोजन से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

ख) उपर्युक्त नवनियुक्त पदाधिकारी अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों तक परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त रहेंगे। संतोषप्रद सेवा नही रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढाया जा सकता है।

ग) योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 1919, दिनांक 28.01.1976 द्वारा दहेज ना लेने/देने से संबंधित घोषणा पत्र एवं अधिसूचना संख्या –5437, दिनांक –09.09.2010 एवं 9519, दिनांक –22.09.2014 के आलोक में चल–अचल सम्पति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

घ) यह नियुक्ति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि यदि पुलिस सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की जांच संबंधित संस्थानों से कराने के उपरांत यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही उनके प्रशिक्षण एवं वेतनादि पर हुए व्यय वसूलनीय होगा।

ड़) उपर्युक्त सभी नवनियुक्त पदाधिकारी मुख्यालय रांची में योगदान करने के पश्चात् विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। परीक्ष्यामान अवधि के दौरान उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त करेंगे। विभाग द्वारा उन्हें समकक्ष रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापित किया जायेगा, जहां योगदान करने की उनकी बाध्यता होगी।

च) सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अधिसूचना प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर अपने पद पर निश्चित रूप से मुख्यालय रांची में पदभार ग्रहण कर लेंगे अन्यथा यह माना जायेगा कि वे इस नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा उनकी नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव।

प्रतिलिपि नोडल पदाधिकारी ई–गजट सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग झारखंड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।